किस्म मुकदमा:– :– धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

नम्बरः– 34./2024

GCMS-2024/97

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बगडूराम विश्नोई बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लोहावट)	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10/24	अपीलार्थी बगडूराम विश्नोई निवासी शिवपुरी, ग्राम पंचायत जम्भेश्वर नगर तहसील लोहावट, जिला फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत दिनांक 02.07.2023 में उसके द्वारा अपील में उल्लेखित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत जम्भेश्वरनगर के राजस्व गांव शिवपुरी में नवीन प्रस्तावित राजस्व ग्राम मातवाली नगर से संबधित सूचना मांगी गई है। इसमें दो सूचनाएं मांगी गई है, पहली उपखण्ड कार्यालय लोहावट द्वारा दिनांक 21.07.2024 तक "ग्राम मातवाली" को निरस्त क्यों नहीं किया गया तथा दूसरी तहसील कार्यालय द्वारा भेजी गई निरस्त अनुशंसा रिपोर्ट की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रतियां दिलाने बाबत। उक्तानुसार वांछित पहली सूचना प्रश्नात्मक है जिसमें कारण/ स्पष्टीकरण पूछा गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रश्नों का उत्तर दिए जाने की अपेक्षा लोक सूचना अधिकारी से नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी की अपील इस हद तक स्वीकार्य नहीं है। दूसरी सूचना यदि उपखण्ड कार्यालय में उपलब्ध हो तो प्रदान की जानी चाहिए। उपखण्ड अधिकारी लोहावट को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उक्त सूचना 10 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करावें एंव रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। अतः अपील इस स्टेज पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपील फैसल होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। जिला कलेक्टर फलौदी	